



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1521/MP/10/2023-ESDW

दिनांक: 20.04.2023

श्रीमती शीतला पटले,
जिलाधिकारी,
जिला छिंदवाड़ा
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय,
छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश -480001
ई मेल:- dmchhindwara@nic.in


श्री विवेक अग्रवाल,
पुलिस अधीक्षक,
जिला छिंदवाड़ा,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा,
मध्य प्रदेश -480001
ई-मेल: sp_chhindawara@mppolice.gov.in

विषय: पट्टे में प्राप्त सरकारी जमीन पर बने कच्ची मिटटी के मकान को लेकर लड़ाई झगड़ा, हमला करने व जान से मारने की धमकी का झूठा केस बनवाने बाबत श्री दीपक एवं अन्य, ग्राम गंगई, थाना - देहात परतला, तहसील व जिला - छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से दिनांक 15.02.2023 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री दीपक एवं अन्य से दिनांक 15.02.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है, (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.


(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री दीपक एवं अन्य,
ग्राम गंगई, थाना - देहात परतला,
तहसील व जिला - छिंदवाड़ा,
मध्य प्रदेश
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु ।